फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री सोहनदास — बनाम — विपक्षी : श्री उंकारदास

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम — पत्रावली संख्या : 30/22

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 11.07.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. (दोनों) पर कोई कार्यवाही नहीं चाहकर नोट प्रेस किया गया। अतः कोई कार्यवाही नहीं चाहने से प्रार्थना पत्र 151 जा.दी. (दोनों) को इसी स्तर पर ड्रोप किया जाता है। प्रकरण में अधिववता उभय पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर प्रकरण में उभय पक्ष को मुल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मुल वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्षकारान द्वारा मौके व रेकर्ड के यथास्थिति बनाये रखने हेतु अपनी सहमती व्यक्ति की ताकि प्रकरण में वाद के निस्तारण से पूर्व किसी प्रकार के मौका एवं रेकर्ड के परिवर्तन से बचा जा सके। अतः उभय पक्षकारान आपस में सहमत होने से प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आपसी सहमती अनुसार स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आपसी सहमती अनुसार स्वीकार किया जाता है कि मौजा वडगांव पटवार हल्का वडगांव भू–अभिलेख निरीक्षक वडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2050–53 की खाता संख्या नया 375 की आराजी नम्बर 211, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 221, 222, 223/1 किता 9 रकबा 10 बिघा 3 बिस्वा भूमि में भू प्रबंधन के बाद बने नये नम्बरान के आधार पर उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें तथा किसी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:19:38 IST
Reason: SelfAttested